न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 17/2016/अपील

पेमाराम पुत्र दोलाराम, जाति जाट, आयु 53 वर्ष, निवासी– स्वामी की ढ़ाणी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)।

अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर (राजस्थान)।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री नसीर अहमद अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामावतार शर्मा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.02.2016 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट द्वारा नायब तहसीलदार, फतेहपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04 दिसम्बर, 2017

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि पटवारी हल्का दांतरू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम स्वामी की ढ़ाणी तहसील फतेहपुर जिला सीकर के खसरा नम्बर 87 रकबा 0.01 है. पर अपीलान्ट द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है। उक्त रिपार्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिया गया जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जवाब के लिए समय मांगा। दिनांक 18.02.2016 से 22.02.2016 तथा 22.02.2016 से 29.02.2016 तक की तारीख पेशी दी गई और बिना जवाब व साक्ष्य लिए ही दिनांक 29.02.2016 को अपीलार्थी के विरूद्व इकतरफा जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल कर 3/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने की आज्ञा

पारित की। वादग्रस्त भूखण्ड का दोलाराम पुत्र खींवाराम का पट्टा सन् 1978 में जारी हुआ है। दोलाराम अपीलान्ट का पिता है। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 359/1 में 755 वर्गगज का तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया हुआ है। इसके अलावा पट्टा संख्या 37 ग्राम पंचायत दांतरू द्वारा स्वामी की ढ़ाणी में 150 वर्गगज का पट्टा दिनांक 29.01.1975 को अपीलान्ट की माताजी शांति देवी के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त दोनों पट्टे ही विधिवत् रूप से शुल्क लेकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा दूसरी जगह का है, एक पंक्ति लिखकर अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अतः पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 के तहत प्रस्तुत झुठी व मनगढ़न्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय, द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूखण्ड का दोलाराम पुत्र खींवाराम का पट्टा सन् 1978 में जारी हुआ है। दोलाराम अपीलान्ट का पिता है। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 359/1 में 755 वर्गगज का तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया हुआ है। इसके अलावा पट्टा संख्या 37 ग्राम पंचायत दांतरू द्वारा स्वामी की ढ़ाणी में 150 वर्गगज का पट्टा दिनांक 29.01.1975 को अपीलान्ट की माताजी शांति देवी के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त दोनों पट्टे ही विधिवत् रूप से शुल्क लेकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा दूसरी जगह का है, एक पंक्ति लिखकर अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित कर दिये। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन नहीं है कि जो नाजायज कब्जा बताया गया है वह पट्टेशुदा जमीन से अलग है और ना ही इस संदर्भ में पटवारी द्वारा कोई साक्ष्य पेश किये गये हैं। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया की अपीलान्ट के पिता के नाम जारी पट्टे की भूमि कौनसी है और नाजायज बतायी गयी भूमि से कितनी दूरी पर है तथा शांति देवी के

नाम से जारी पट्टे से कितनी दूर है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र 11 दिन में सम्पूर्ण मामले का निस्तारण करते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये। जबकि अपीलांट एक अपाहिज व्यक्ति है जो स्वयं चलने फिरने में असमर्थ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता श्री रामावतार शर्म का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 87 रकबा 0.01 है. वाके ग्राम स्वामी की ढ़ाणी तहसील फतेहपुर पर जबरन कब्जा कर रखा है, जिसे हटाने का नायब तहसीलदार फतेहपुर ने आदेश पारित किया, जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश सीकर के यहां निगरानी प्रस्तुत की थी, जिसे माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या– 3 सीकर ने दिनांक 26.04.2016 को खारिज फरमा दिया था। इसी निगरानी के समानान्तर अपीलार्थी ने श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। जो किसी भी लिहाज से चलन योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–
   (1) पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2016 में खसरा नम्बर 87 कुल रकबा 16.46 है. में से **नाजायज रकबा 0.01 है.** वाके ग्राम स्वामी की ढ़ाणी, तहसील फतेहपुर जिला सीकर **चारागाह** दर्ज है। जिस पर अपीलांट द्वारा एक कमरा मय टीन शैड व तारबंदी लगाकर अतिक्रमण करना अंकित है, तथा यह भी अंकित किया है कि पेमाराम को दिनांक 05.02.2016 को पाबंद करने के बावजूद उसने दिनांक 10.02.2016 को पक्का कमरा निर्माण कर मय 0.01 है. पर तारबंदी कर नाजायज कब्जा लिया है।
   (2) अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत दांतरू पट्टा संख्या 37 दिनांक 29.11.1975 द्वारा 150 वर्गगज भूमि विक्रय एवं सनद क्रमांक 693 दिनांक 19.12.1978 द्वारा तहसीलदार फतेहपुर 755 वर्गगज भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन उपयोग में लेने हेतु स्वीकृति जारी की गई है।

(3) हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2016 के अनुसार पिता के बनवाये पट्टे पर प्रार्थीगण कई वर्षो से चारागाह भूमि पर मकान बनाकर रह रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.02.2016 में यह उल्लेखित किया है कि ''दौलाराम की मृत्यु हो चुकी है, उसके जायन्दा वारिस उक्त पट्टेशुदा भूमि पर करीब तीस पैतीस साल से दूसरी जगह बसे हुए है। अतिक्रमी पेमाराम पुत्र दौलाराम ने जो कब्जा किया है वो पट्टेशुदा भूमि से अलग जगह है, अतिक्रमी को दिनांक 05.02.2016 एवं 11.02.2016 को पाबन्द किया गया, उसके बाद भी टीनसैट व छानछप्पर बना लिये''।

उक्त तथ्यों से प्रार्थी के पट्टे की जमीन एवं अतिक्रमण की जमीन बाबत संशय की स्थिति प्रतीत हो रही है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ नायब तहसीलदार फतेहपुर का आदेश दिनांक 29.02.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार फतेहपुर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट की पैतृक पट्टेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए संदर्भित विवादित भूमि के प्रकरण का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. निर्णय आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर